न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 147/2022 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 15.06.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/147

श्री भैरूलाल पिता पोखर जी जाट, उम्र 50 वर्ष, निवासी आसावरा तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ

–प्रार्थी

बनाम

1–शंभूलाल पिता उदयलाल जी जाट, उम्र 39 वर्ष ,निवासी आसावरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ
2–शांति बाई पत्नि शंभूलाल जी जाट, उम्र 36 वर्ष, निवासी आसावरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या क्रमांक/राजस्व/आ.आदेश/2021–22/10 दिनांक 27.10.2021

उपस्थिति : 1– श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री शिवनारायण जाट, अधिवक्ता वि. सं. 1

:: निर्णय ::

दिनांक 16.04.2026

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजथान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(04) के अंतर्गत खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी गैर निगराकार संख्या 1 व 2 को राजस्व ग्राम आसावरा की आराजी नंबर 427 रकबा 0.80 हैक्टेयर कृषि भूमि को अवैधानिक रूप से पटवारी हल्का आसावरा की रिपोर्ट को आधार मानते हुऐ गैर निगराकार को आवंटित कर दी जो मौके की भौतिक स्थिति के विपरीत होने से उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी के समक्ष आवेदन प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में दिनांक 27.10.2021 को ही आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर मौके पर भौतिक रूप से कब्जे की जांच पडताल किये बिना पटवार हल्का की यंत्रवत की गई रिपोर्ट को आधार मानते हुऐ मौके पर पूर्व में कब्जेधारी निगराकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पूर्व में स्थित कब्जेधारी को बेदखल किये बिना ही मनमकसूद तरीके से गैर निगराकार को बिना कब्जे के ही आवंटन का आदेश पारित कर दिया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत होने से उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आ.सं. 427 रकबा 0.80 है. जिसके भू प्रबंधन से पूर्व के आराजी नंबर 532/1 मी. रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा थे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 147/2022 (रा.प्रा.पत्र)
भैरूलाल पिता पोखर जाट निवासी आसावरा बनाम शम्भूलाल पिता उदयलाल जाट निवासी आसावरा वगैरह तहसील भेदसर

उसमें से 6 बीघा भूमि पर निगराकार भैरूलाल पिता पोखर जाट का निरंतर व निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा था जिसके संबंध में तहसीलदार, भदेसर द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही थी जिसके प्रमाण स्वरूप निगराकार के विरूद्ध की गई 91 भू राजस्व के नोटिस की प्रति एवं कब्जे के प्रमाण बाबत संवत 2054 एवं 2056 की पी 14 की नकलों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। जिससे स्पष्ट है कि गैर निगराकार को की गई आवंटित आराजियात पर निगराकार को मौके पर से बेदखल किये बिना ही गैर निगराकार को आवंटन कर दिया जो विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटित आराजियात पर न तो पूर्व में गैर निगराकार का कब्जा काश्त था और ना ही वर्तमान में ही कब्जा काश्त है तथा गैर निगराकार भूमिहीन नहीं होकर पटवारी हल्का आसावरा की रिपोर्ट के अनुसार गैर निगराकार के खातेदारी में 1.51 हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचित दर्ज रिकार्ड है तथा 0.75 है. असिंचित कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में आवंटन की पात्रता गैर निगराकार नहीं रखते हुऐ उनको राजनैतिक प्रभाव के चलते गलत रूप से आवंटन करने का आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। दिनांक05. 08.2022 को विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये और अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 24.05.2024 को अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता हाजिर रहे। अधीनस्थ उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर ने अपने पत्रांक 232 दिनांक 13.12. 2024 से वांछित अभिलेख जिला कार्यालय को भिजवाया जाना बताया तथा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय के पत्र क्रमांक 1873 दिनांक 20.11.2025 से वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं होना बताया। प्रकरण पर तहसीलदार, भदेसर से रिकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम पर मौजा आसावरा की बिलानाम आ.सं. 427 रकबा 0.80 है. भूमि आवंटन किया गया है। उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व ही निगराकार का कब्जा होकर उसके द्वारा एक चक बना रखा है जिससे गैर निगराकार को आवंटन के पश्चात भी मौके पर कोई कब्जा सिूपर्द नहीं किया गया न ही किसी प्रकार का कब्जा ही स्थित है, अतः आवंटन आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता संख्या 1 व 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रारम्भिक आपत्ति कर बताया कि विपक्षी व उसी पत्नी भूमिहीन काश्तकार हैं तथा काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। विपक्षी के माता की कृषि भूमि के पास ही आ.सं. 427 है जिस पर विपक्षी का आबाद रूप से कब्जा होकर काश्त की जा रही है। उपरोक्त कृषि भूमि को बडी अंग मेहनत लगाकर कृषि उपजाउ बनाया है तथा वर्तमान में विपक्षी की फसल खडी है। विपक्षी ने विधि पूर्वक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रकबा 0.80 है. कृषि भूमि को आवंटन हेतु प्रार्थना की जिस पर राजस्व विभाग द्वारा सम्पूर्ण जांच कर विपक्षी को आवंटन योग्य कृषक मानते हुऐ भूमि को आवंटित की एवं कब्जे का पर्चा मौका

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाया। इस प्रकार प्रार्थी गलत तथ्यों पर आवंटन निरस्त कराना चाहता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि विपक्षीगण सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकूल भूमि आवंटित की है। ग्रामवासियान आसावरा को न तो आवंटन की सूचना दी गई न उनको सुना गया। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आराजियात के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना जांच पडताल के उक्त बिलानाम आराजियात का विपक्षीगण को आवंटन आदेश पारित कर दिया है तो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तहसीलदार, भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/भूअभि/2026/207 दिनांक 18.02.2026 का अवलोकन किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :

101 – कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि आवंटन –

(1) इस अधिनियम में अन्यत्र अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कृषि प्रयोजनो के लिए भूमि, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से आवंटित की जायेगी जो राज्य सरकार इस निमित बनाये गये नियमों द्वारा विहित करें।

(2) इस धारा के अीन भूमि के समस्त आवंटन ऐसी दरों पर नियत लगाम के सदस्य के अध्यधीन होगें जो इस विषय पर बनाई गई किसी विधि द्वारा या रूढ़ि के अनुसार या प्रथा द्वारा नियम किये जावें।

(3) .....

(4) यदि एक की भूमि की एक से अधिक व्यक्ति अपेक्षा करते हों, तो आवंटन निम्नलिखित क्रम से किया जायेगा –

(i) जोत के सहअंशधारियों को, यदि वह एक ही सद्देत खण्ड़ का अंग हों या एक ही स्त्रोत से सिंचित हो, उक्त सहअंशधारियों में अधिमान उसको दिया जायेगा जिसके पास राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (सन् 1955 का राजस्थान अधिनियम 3) के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित क्षेत्र से कम भूमि हो,

(ii) उस गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों को, जहां भूमि स्थित है उक्त व्यक्तियों में अधिमान उनको दिया जोगा जिनके पास कोई भूमि नहीं हो या उक्त नियमों द्वारा विहित क्षेत्रफल से कम हो, और

(iii) लॉटरी निकाल कर

बशर्ते की इस प्रकार आवंटित क्षेत्रफल आर उसके द्वारा धारित क्षेत्रफल मिलकर उक्त कनयमों के विहित क्षेत्र से अधिक नहीं हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 147/2022 (रा.प्रा.पत्र)
भैरूलाल पिता पोखर जाट निवासी आसावरा बनाम शम्भूलाल पिता उदयलाल जाट निवासी आसावरा वगैरह तहसील भेदसर

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम 14 (4) में निर्देशित किया हुआ है कि ''जिला कलक्टर को उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा किये गये आवंटन को निरस्त करने का अधिकार होगा। यदि आवंटन हो गया हो तो इस आवंटन को रद्द करने हेतु तहसीलदार या स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवंटन करने पर जिला कलक्टर द्वारा आवंटन खारिज किया जा सकता है। आवंटन खारिज करने के निम्न आधार है :

1. धोखाधडी करके या गलत बयानी के जरिये आवंटन हासिल किया गया हो।
2. राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन प्रयोजन) नियम, 1970 के नियमों के विरूद्ध आवंटन करने पर।
3. आवंटन की शर्तो का उल्लघंन करने पर।

अधीनस्थ तहसीलदार, भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम आसावरा की आराजी संख्या 427 रकबा 1.72 हैक्टेयर किस्म बंजर बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम आसावरा की आ.सं. 427 में से 0.80 है. भूमि श्री शम्भूलाल पिता उदयलाल व शांतिबाई पत्नी उदयलाल जाट निवासी आसावरा को आवंटन होना बताया है, वर्तमान में आ.सं. 427 में किसी भी व्यक्ति द्वारा फसल काश्त नहीं कर रखी है। मौके पर उक्त भूमि पड़त है एवं किसी भी प्रकार की मेडबन्दी (तारबन्दी, डाल या खाई) नहीं कर रखी है। उक्त आराजी वर्तमान में खुली होकर पड़त पडी हुई है। ग्राम आसावरा की वर्तमान आ.सं. 427 रकबा 1.72 है के साबिक (भू प्रबंध से पूर्व) आ.सं. 532/1 मी. है। प्रस्तुत नकलों के आधार पर वादी भैरूलाल पिता पोखर जाट निवासी आसावरा के विरूद्ध सम्वत् 2054 व सम्वत् 2057 में साबिक आ.सं. 532/1 मी. में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी के रूप में प्रकरण दर्ज है। वर्तमान में आ.सं. 427 में किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही नहीं हुई है। प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रतिवादी श्री शम्भूलाल पिता उदयलाल जाट निवासी आसावरा के नाम ग्राम आसावरा में 1.43 है. कृषि भूमि व 0.09 है. आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी श्रीमती शांताबाई पत्नी शम्भूलाल जाट के नाम पटवार हल्का आसावरा में किसी भी प्रकार की भूमि दर्ज रिकार्ड नहीं है। आवंटी का आंवटित भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं है एवं न ही आवंटन शर्तो की पालना की जा रही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भू आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा विपक्षी को मौजा आसावरा, तहसील भदेसर की आराजी संख्या 427 रकबा 0.80 है. भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया है। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा आवंटन दिनांक से निरन्तर आवंटित आराजीयात पर विपक्षी/आवंटी का कब्जा एवं काश्त होने संबंधी कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवंटित आराजीयात पर विपक्षी का कब्जा एवं काश्त होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो। साथ ही तहसीलदार, भदेसर की उक्त वर्णित रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन नहीं होकर उसके नाम अन्य भूमि दर्ज रिकार्ड है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 147/2022 (रा.प्रा.पत्र)
भैरूलाल पिता पोखर जाट निवासी आसावरा बनाम शम्भूलाल पिता उदयलाल जाट निवासी आसावरा वगैरह तहसील भेदसर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी का उनको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि/आराजीयात पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है, रिपोर्ट तहसीलदार, भदेसर अनुसार वर्तमान में भी भूमि पड़त है तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा फसल काश्त नहीं कर रखी है तथा विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है जिससे वर्तमान में उक्त भूमि/आराजीयात विपक्षी के खाते में दर्ज नहीं होकर सरकार के खाते में किस्म बिलानाम बंजड 1 दर्ज रेकर्ड है। निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को मौजा आसावरा, तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 427 रकबा 0.80 हैक्टयर का जरिये आदेश क्रमांक/राजस्व/आवंटन आदेश/2021-22/10 दिनांक 27.10.2021 से किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 16.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चत्तौड़गढ़